

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्)

संचिका संख्या-स0 सु0 (लीड एजेन्सी) 05-278/2025.....463.....

प्रेषक,

आरिफ अहसन, मा.प्र.से.,
राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-15.06.2024

विषय:- चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान, औरंगाबाद में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 5 महिला वाहन चालकों को 14 दिनों का भारी वाहन चालन आवासिय प्रशिक्षण तथा 4 महिला वाहन चालकों को 30 दिनों का लर्नर आवासीय प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में क्रमशः रु० 98,800 + 68,400 कुल सन्निहित राशि ₹1,67,200/- (एक लाख सड़सठ हजार दो सौ) रुपया मात्र के भुगतान की स्वीकृति।

आदेश स्वीकृत।

1. इस राशि की निकासी शीर्ष "2041-वाहन कर-00-101-संग्रहण प्रभार-0003-बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान, विपत्र कोड-47-2041001010003 के अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यय (20-03)" मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से की जाएगी।
2. उक्त राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से किया जाएगा।
3. उक्त राशि में TDS on Income Tax @2%-2,834/-, TDS on CGST @1%-1,417/-, TDS on SGST@1%-1,417/- रु० मात्र नियमानुसार कटौती कर शेष ₹1,61,532/- (एक लाख एकसठ हजार पाँच सौ बत्तीस) मात्र का भुगतान CFMS के माध्यम से IDTR, औरंगाबाद के Payee ID-PT0059986 में किया जाएगा।
4. उक्त राशि के भुगतान पर सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक- स0 सु0 (लीड एजेन्सी) 05-278/2025463.....पटना, दिनांक-15.06.2024

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, IDTR, औरंगाबाद/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग/लेखा शाखा, लीड एजेन्सी/आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।